न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 572 सन 2018

अनवान :–

1. घडसीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
2. भजनलाल 3 ताराचन्द 4. दलीपसिह 5. बंशीलाल 6. सुभाष चन्द्र पुत्रगण भगवानाराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
7. सुरेश कुमार पुत्र स्व रामलाल जाति जाट निवासी दलतपुरा तहसील नोहर ।
8. रजोदेवी पत्नी स्व रामलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
9. सुमन पुत्री रामलाल पत्नी बीरसिह जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20/08/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 212 के खसरा न0 73/1 की 0.791हैक , 93/1 की 3.984हैक 98/1 की 2.308हैक , 398/1 की 1.821हैक , 607/541 की 1.422कुल 10.326हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पूर्व मे वादी के दादा गुगनराम पुत्र गणपतराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा गुगनराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर्ता खानदान होने के कारण विरास्तन से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी सख्या 8 ,9 जो प्रतिवादी संख्या 7 की माता व बहनं है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज वाद भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम बहिब दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो उसे अपने पिता के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ,9 जो प्रतिवादी संख्या 7 की माता/बहन हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र रामलाल की पत्नी/पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 212 के खसरा न0 73/1 की 0.791हैक , 93/1 की 3.984हैक 98/1 की 2.308हैक , 398/1 की 1.821हैक , 607/541 की 1.422कुल 10.326हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भगवानाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पूर्व मे वादी के दादा गुगनराम पुत्र गणपतराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा गुगनराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर्ता खानदान होने के कारण विरास्तन से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 8 ,9 जो प्रतिवादी संख्या 7 की माता व बहनं है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।इसी प्रकार पेरोकार राज प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा भी वादी के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है आपसी सहमति व साक्ष्यों से वादी का वाद सावित हो चुका है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड ,भू0 प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा दलपतपुरा के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गुगनराम पुत्र मुखराम के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज थी वादी के दादा गुगनराम पुत्र मुखराम का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है पर औद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से पूर्णत्या सावित है ।

उपरोक्त रिकार्ड से सावित है कि वादी के दादा गुगनराम पुत्र मुखराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना सावित है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दादा की सम्पति में पौता/पोतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8, 9 जो प्रतिवादी संख्या 7 की माता व बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र रामलाल की पत्नि एवं पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्र/भाई के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ,9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी/ प्रतिवादी संख्या 7 के कथनों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिसासा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिलस किया जा चुका है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के स्वीकार करने एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर पैतृक सम्पति सावित होने के कारण एवं पेरोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नही करने के कारण काविल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 212 के खसरा न0 73/1 की 0.791हैक खेडा , 93/1 की 3.984हैक , उतरादा , , 98/1 की 2.308 हैक उतरादा ,398/1 की 1.821हैक खेडा, 607/541 की 1.422हैक कुल किता 5 की कुल क्षैत्रफल 10.326हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिव के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. घडसीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भगवानाराम पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर

2. भजनलाल 3 ताराचन्द 4. दलीपसिह 5. बंशीलाल 6. सुभाष चन्द्र पुत्रगण भगवानाराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।

7. सुरेश कुमार पुत्र स्व रामलाल जाति जाट निवासी दलतपुरा तहसील नोहर ।

8. रजोदेवी पत्नी स्व रामलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

9. सुमन पुत्री रामलाल पत्नी बीरसिह जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

11. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 572 सन 2019 निर्णय दिनांक– 28/08/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 212 के खसरा न0 73/1 की 0.791हैक खेडा , 93/1 की 3.984हैक , उतरादा , , 98/1 की 2.308 हैक उतरादा ,398/1 की 1.821हैक खेडा, 607/541 की 1.422हैक कुल किता 5 की कुल क्षैत्रफल 10.326हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Cah

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner